कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं0 05947—251362

पत्रांक:— 3252/ 12—1 रामनगर/ दिनांक— 19/05/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः— रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर—रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है0 को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्र 2443/FP/UK/Others/145973/2021 दिनांक 27.04.2023 एवं आपका पत्र—679/12—1 दिनांक 19.10.2024 मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम का पत्र 1317/के0आर/4—भूमि भवन/ रामनगर बस स्टे0/24 दिनांक 13.05.2024 एवं 1791/के0आर/4—भूमि भवन/ स0म0प्र0 कार्या0 राम0/2025 दिनांक 17.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस उपलब्ध कराई गयी, जो निम्न प्रकरण है:—

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	विषय सूची के अनुसार संलग्न प्रपत्र/प्रमाण पत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी है।	प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है की प्रस्ताव में विषय सूची के अनुसार संलग्न प्रपत्र/प्रमाण पत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में संलग्न SIR रिपोर्ट में बिन्दु संख्या—B पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।	उक्त के क्रम में SIR रिपोर्ट की बिन्दु संख्या—B पर सूचना अंकित कर दी गयी है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि का हस्तान्तरण उचित प्रतीत नहीं होता है, वहीं आपके द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी है, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या की बिन्दु सं0 2 में प्रस्तावक द्वारा आवेदित वन भूमि संरेखण—1, जिसमें 0.120 है0 वन भूमि प्रभावित होने के साथ 04 हरे खड़े वृक्षों का पातन एवं एक वन चौकी का ध्वस्तिकरण किया जाना अपरिहार्य होगा, को उपरोक्त कारणों से अनुपयुक्त बताते हुए उक्त संरेखण को निरस्त किया गया है। साथ ही उक्त संरेखण के सापेक्ष संरेखण—2 रोडवेज बस स्टेशन से लगी सामने की ओर की 0.1526 है0 वन भूमि को बसपोर्ट के संचालन हेतु एवं सार्वजनिक हित में अधिक उपयुक्त होगी, की संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का पुनः स्थलीय निरीक्षण दिनांक 14.11.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव में आवेदित 0.120 है0 वन भूमि की संस्तुति इस शर्त के अधीन की गई है कि प्रस्तावक विभाग आवेदित भूमि पर प्रभावित होने वाली वन विभाग की चौकी के पुर्ननिर्माण मै होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति वन विभाग को करेगा। इसी क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि महाप्रबन्धक (संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, परिवहन भवन, देहरादून का पत्र 72 नि0यु0/x/रामनगर

Scanned with OKEN Scanner

		बसपोर्ट/2025 दिनांक 16.04.2025, जो प्रभागीय वनाधिकारी को सम्बोद्धित एवं उनको पृष्ठांकित है, के माध्यम से आवेदित भूमि में परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन चौकी के पुर्ननिर्माण में होने वाले व्यय की आगणन धनराशि रू0 17,44,000.00 (सतरह लाख चवालीस हजार रू0) मात्र की प्रतिपूर्ति वन विभाग को किये जाने किये जाने की सहमति/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव मे आवेदित 0.120 है0 भूमि को ही हस्तांतरित किये जाने की संस्तुति की जाती है।
4	SIR के बिन्दु संख्या–3 में उल्लेख दिया गया है कि श्रीमती पदमा देवी के नाम लीज दर्ज है, जो कि कालतीत हो चुकी है। लीज धारक द्वारा उक्त भूमि का नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। विभाग द्वारा प्रभाग स्तर पर इस पर क्या कार्यवाही की गयी है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की प्रभाग द्वारा समय–समय पर लीजधारक श्रीमती पदमा देवी को लीज नवीनीकरण कराने अथवा भूमि खाली करने के नोटिस जारी किये गये है।
5	प्रश्नगत प्रयोजन हेतु चयनित भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या के बिन्दु–2 एवं बिन्दु संख्या–4 में प्रस्पर विरोधाभाष है, जिसमें बिन्दु संख्या 2 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपयुक्त नहीं है वहीं दूसरी ओर बिन्दु संख्या 4 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु वन भूमि विकास कार्यो हेतु संस्तुति की जाती है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या की विन्दु सं0 2 में प्रस्तावक द्वारा आवेदित वन भूमि संरेखण–1, जिसमें 0.120 है0 वन भूमि प्रभावित होने के साथ 04 हरे खड़े वृक्षों का पातन एवं एक वन चौकी का धवस्तिकरण किया जाना अपरिहार्य होगा, को उपरोक्त कारणों से अनुपयुक्त बताते हुए उक्त संरेखण को निरस्त किया गया था। साथ ही विन्दु संख्या 04 में उक्त संरेखण के सापेक्ष संरेखण–2 रोडवेज बस स्टेशन से लगी सामने की ओर की 0.1526 है0 वन भूमि को बसपोर्ट के संचालन हेतु एवं सार्वजनिक हित में अधिक उपयुक्त होगी, की संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का पुनः स्थलीय निरीक्षण दिनांक 14.11.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव में आवेदित 0.120 है0 वन भूमि की संस्तुति इस शर्त के अधीन की गई है कि प्रस्तावक विभाग आवेदित भूमि पर प्रभावित होने वाली वन विभाग की चौकी के पुर्ननिर्माण मै होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति वन विभाग को करेगा। इसी क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि महाप्रबन्धक (संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, परिवहन भवन, देहरादून का पत्र 72 नि0मु0/X/रामनगर बसपोर्ट/2025 दिनांक 16.04.2025, जो प्रभागीय वनाधिकारी को सम्बोद्धित एवं उनको पृष्ठांकित है, के माध्यम से आवेदित भूमि में परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन चौकी के पुर्ननिर्माण में होने वाले व्यय की आगणन धनराशि रू0 17,44,000.00 (सतरह लाख चवालीस हजार रू0) मात्र की प्रतिपूर्ति वन विभाग को किये जाने किये जाने की सहमति/ स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव में आवेदित 0.120 है0 भूमि को ही हस्तांतरित किये जाने की संस्तुति की जाती है।
6	प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि परिवहन विभाग को पूर्व में हस्तान्तरित की गयी वन भूमि में निर्गत शासनादेश में	उक्त के क्रम में अवगत करना है की वन क्षेत्राधिकारी कोसी की आख्या 47/12 दिनांक 27.07.2024 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति 45/12–1 दिनांक 29.07.2024 के

Scanned with OKEN Scanner

	अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।	आधार पर उपरोक्त प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या–78 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7	टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है की टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है।
8	प्रस्तावित स्थल कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से 280 मीटर (0.28 किमी0) पर स्थित है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापित्त प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है की प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून का अनापित्त प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या–78 पर संलग्न किया गया है।
9	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या– 50सी पर संलग्न किया गया है।
10	प्रस्ताव में लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रस्ताव में लीज अवधि का प्रमाण–पत्र पृष्ठ संख्या–A पर संलग्न किया गया है।

अतः प्रकरण में लागई गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव 4 प्रतियों में आपके अवलोनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषति किया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दिगन्थ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 3252/ दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवाहन निगम, काठगोदाम को सूचनार्थ प्रेषित।

(दिगन्थ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned with OKEN Scanner